British Columbia's
Office of the Human Rights
Commissioner

# घृणा से आशा की ओर: कोविड -19 महामारी में घृणा की जांच की रिपोर्ट

## कार्यकारी सार

मार्च 2023

अंग्रेजी में इस रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के लिए देखें: bchumanrights.ca/Inquiry-Into-Hate

कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने अपनी सामूहिक सरलता को खो दिया है। अब हम जानते हैं कि हम अपने समुदायों, अपनी नौकरियों, अपनी दिनचर्या या अपनी राजनीतिक व्यवस्था को हल्के में नहीं ले सकते। अब हम यह जान गए हैं कि एक छोटा सा जीवाणु भी मात्र कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर में तबाही मचा सकता है। और साथ ही अब हम यह भी जान गए हैं कि इस अनुपात वाले स्वास्थ्य संकट के साथ-साथ हम नफरत और हिंसा जैसे सामाजिक संकट को भी बढ़ते देखेंगे। भविष्य में आने वाले ऐसे किसी संकट की स्थिति में अगर नफरत और उससे सम्बंधित हिँसा बढ़ती है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। हमें हर उस स्थिति का सामना करना चाहिए जो हमने महामारी के दौरान अनुभव की है, और इसे फिर से दोहराने से रोकने के लिए अभी से ही कदम उठाने चाहिए। हमारे सुझाव इस कार्रवाई के लिए एक रास्ता निर्धारित करते हैं।

हालांकि नफरत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने भय, अविश्वास, विभाजन और नफरत के समय का सामूहिक अनुभव किया है। इस समय ने हमें सुरक्षित बनाए रखने एवं कानून और लोकतंत्र के शासन को बनाए रखने के लिए बनाई गई संस्थाओं को भी चुनौती दी है। इस समय में न केवल नस्ल या धर्म के आधार पर घृणा, बल्कि बेघर लोगों, महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, स्वास्थ्य संचारकों, राजनेताओं और बहुत से अन्य लोगों के प्रति घृणा में भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक ऐसी अवधि है जहां हमने उन लोगों की आवाज़ों को तेजी से खामोश होते हुए देखा है जिन्हें इंटरनेट के द्वारा नफ़रत का निशाना बनाया गया।

यह एक ऐसा भी वक़्त था जब हमने उल्लेखनीय परिमाण में सामूहिक देखभाल करने के मामले देखे। नस्लवाद और नस्लीय लोगों के जीवन पर इसके वास्तविक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में भी काफी वृद्धि हुई है। समुदायों ने भी सबसे अधिक प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने और नफरत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए कदम बढ़ाये हैं।

इसी संदर्भ में बी.सी. के मानवाधिकार कमिश्नर ने इस रिपोर्ट की एक सार्वजनिक जांच- कोविड -19 महामारी में नफरत की जांच शुरू की ताकि महामारी के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में नफरत से संबंधित घटनाओं में वृद्धि, इसके मूल कारणों की जांच करने और कार्रवाई योग्य सिफारिशें विकसित की जा सके। कमिश्नर ने इस जांच के बारे में जानकारी देने के संदर्भ शर्तों और "नफरत की घटना" की परिभाषा विकसित की। कमिश्नर और उनके कर्मचारियों ने ऐसी जांच प्रक्रियाओं को विकसित किया जो सुलभ थीं, जिसमें लोगों को व्यापक भागीदारी के लिए तैयार किया गया, समुदायों को शामिल किया गया और आघात के बारे में जानकारी दी गई।

कमिश्नर ने निम्न के जरिए जानकारी और साक्ष्य एकत्र किए:

- 46 वर्चुअल मौखिक सुनवाई जहां हमने 52 संगठनों सहित 100 लोगों से सुना
- 20 लिखित प्रस्तुतियाँ
- ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले लोगों के प्रतिनिधि नमूने का एक जनमत सर्वेक्षण
- एक सार्वजनिक सर्वेक्षण जहां 2,500 से अधिक लोगों की राय सुनी गयी
- 46 सार्वजनिक निकायों से सूचना अनुरोध
- बी.सी. और बीसी आरसीएमपी में सभी नगर पालिकाओं के अधीन पुलिस विभागों को सूचना अनुरोधों के दो सेट
- सात सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश और सूचना अनुरोध
- जांच से संबंधित विषयों पर पांच बाहरी शोध रिपोर्ट
- अंतर-क्षेत्राधिकार जांच पड़ताल
- बुजुर्गों के एक व्यक्तिगत समूह

**इस सबूत के माध्यम से कमिश्नर ने निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकाले:**

- महामारी के दौरान घृणा की घटनाओं में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। कमिश्नर ने बी.सी. के हर कोने में नस्ल, लिंग, यौन झुकाव, धर्म और मूल निवास के आधार पर, और विशेष रूप से परस्पर विरोधी पहचान वाले लोगों द्वारा, अनुभव की गई घृणा संबंधी घटनाओं के बारे में सुना। एशियाई लोगों के विरुद्ध घृणा में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि हुई थी, और इसी प्रकार लिंग आधारित घृणा और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई।

  महामारी के दौरान कई लोगों ने उन सार्वजनिक और निजी स्थानों पर भी घृणा का अनुभव किया जो उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। इन स्थानों में सड़कें, पार्क, ट्रांजिट, रेस्तरां, स्टोर, स्कूल, स्वास्थ्य की देखभाल हेतु स्थापित स्थान और उनके अपने घर शामिल थे। घृणा की इन घटनाओं में घृणित टिप्पणियों और अपशब्दों, दीवारों पर अपशब्द लिखा जाना, संपत्ति की क्षति, शारीरिक उत्पीड़न और आक्रामकता, हिंसा की धमकियों और लोगों पर थूकने या उन पर कचरा फेंकने से लेकर हिंसक हमले तक शामिल हैं।

- घृणा सीमांत वर्ग के समुदायों द्वारा असंगत रूप से अनुभव की गई थी और विशेष रूप से उन लोगों द्वारा, जिनकी अपनी एक अन्तर्विभाजक पहचान है। घृणा का परिणाम तत्काल और

दीर्घकालिक शारीरिक और भावनात्मक चोट, व्यक्ति में स्वयं की सुरक्षा के लिए भय और दूसरों के लिए अपनेपन की भावना में क्षरण होता है। व्यक्ति की वाणी पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। घृणा के प्रभाव संचयी होते हैं।

- महामारी के दौरान लिंग आधारित हिंसा में प्रभावशाली रूप से वृद्धि हुई, जबकि पीड़ितों के समर्थन व सहारे की प्रणालियाँ बंद हो गई या बहुत ही कम क्षमता पर संचालित हुई, जिसने पीड़ितों को अत्यंत जोखिम भरी स्थिति में डाल दिया था। पूर्व समय में ऐसे सामाजिक संकट के आधार पर इस तरह की घृणा आधारित हिंसा में वृद्धि होने की संभावना का अनुमान और इसे कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए थे। कमिश्नर ने लिंग आधारित हिंसा, स्त्री द्वेष और सामूहिक हत्याओं के बीच बढ़ते सम्बन्ध पर ध्यान दिया है। यद्यपि लिंग के आधार पर घृणा अक्सर लिंग आधारित हिंसा में प्रकट होती है, लेकिन इस प्रकार की हिंसा को शायद ही कभी कानून के तहत या आम तौर पर समाज के भीतर घृणा माना जाता है।

- महामारी के दौरान ऑनलाइन नफरत में प्रभावशाली रूप से वृद्धि हुई है। कमिश्नर ने पाया कि कई कारकों ने महामारी के दौरान ऑनलाइन घृणा में वृद्धि में योगदान दिया, जिसमें महामारी के दौरान ऑनलाइन पर बिताया गया अधिक समय, गलत सूचना का बड़े पैमाने पर प्रसार, गलत सूचना और साजिश द्वारा उनका प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के षड्यंत्र और कारपोरेट नफरत भाष्य नीतियों को अपर्याप्त रूप से लागू करना शामिल है। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एल्गोरिदम का उपयोग भी दर्शकों को घृणास्पद सामग्री देखने के लिए प्रेरित करके घृणा उत्पन्न करने में बढ़ावा देता है। कई सोशल मीडिया कंपनियों की नीतियां और व्यवहार उनके मंच पर बढ़ती नफरत को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्धता की कमी को प्रदर्शित करती हैं। कई कंपनियां इस बारे में पारदर्शी नहीं हैं कि उनके मंच पर किस तरह नफरत का प्रदर्शन किया जा रहा है और वे इन नफरत से भरे विचारों की रोकथाम को कैसे संबोधित कर रहे हैं, जो इस समस्या के दायरे को अनिश्चित कर रहा है और यहां तक कि इसे बढ़ावा दे रहा है।

- नफरत कोई नई बात नहीं है। नफरत का बी.सी में एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी जड़ें सत्ता और नियंत्रण और भेदभाव और उत्पीड़न के लंबे समय से चले आ रहे ढांचे में हैं। महामारी की विशिष्ट स्थितियों (अलगाव, भय और चिंता, ऑनलाइन समय में वृद्धि और आर्थिक तनाव सहित) और महामारी के पहले से श्वेत राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान (विशेषकर अमेरिका और दुनिया भर के जनवादी नेताओं के उदय के संदर्भ में) को अलग करना मुश्किल है। हालांकि परिणाम समान है—नफरत की घटनाएं पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में बढ़ी हुई संख्या में मौजूद हैं ।

  नफरत अक्सर व्यक्तियों की कार्यशैली के माध्यम से परिलक्षित होती है। यह उत्पीड़न की मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है। हालांकि, सभी भेदभाव और असमानता का परिणाम घृणास्पद भाषा और हिंसा नहीं होता है। विशेष रूप से महामारी के समय में नफरत के संबंध में, मनोवैज्ञानिक शोध इस विचार का समर्थन करता है कि बीमारी के खतरे की धारणा विशिष्ट रूप से और सशक्त रूप से प्रवासी

लोगों को पसंद न करने और भेदभाव के अन्य स्वरूपों से जुड़ी हो सकती है।[1] पिछली महामारियों में घृणा की घटनाओं में इसी प्रकार से समानांतर वृद्धि देखी गई है। कोविड -19 महामारी में घृणा में वृद्धि में योगदान करने वाले अन्य सम्बंधित कारणों में दोषारोपण की वैश्विक और स्थानीय डायनामिक्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के खिलाफ लामबंदी, सामाजिक दूरी और अलगाव, शराब और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, और समुदाय में अपनेपन की भावना की अनुपस्थिति, नफरत का सामान्यीकरण और गलत सूचना का प्रसार, गलत सूचना देना और साजिश के सिद्धांत, और दक्षिण पंथ और वैचारिक रूप से प्रेरित हिंसक अतिवाद भी शामिल है।

- प्रांत भर में विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों पर होने वाली नफरत की घटनाओं पर तथ्यात्मक आंकड़ों की कमी कार्रवाई में बाधा डालती है। कमिश्नर ने जांच को सूचित करने के लिए घृणा की घटनाओं के व्यापक आंकड़ों का अनुरोध किया। कमिश्नर ने पाया कि ज्यादातर सार्वजनिक निकाय घृणा के मामलों का संग्रह नहीं करते। पुलिस, अभियोजन पक्ष और अदालत के आंकड़ों (इसमें यह भी शामिल है कि जब किसी मामले में घृणा एक उत्तेजक कारक होता है तो सजा देने वाले मामलों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता) की गुणवत्ता में मुश्किलें या सीमाएं हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियां कमिश्नर को महामारी के दौरान बी.सी. या कैनेडा में अपने मंच पर घृणा के बारे में आंकड़े प्रदान करने में असमर्थ या अनिच्छुक थीं।
- रिपोर्टिंग (पुलिस प्रतिक्रियाओं में सुरक्षा की कमी, सामुदायिक रिपोर्टिंग और इस जवाबदेही के बीच समन्वय की कमी कि इन सूचनाओं का क्या किया जाएगा) की समस्याओं, पुलिस और क्राउन द्वारा आरोप लगाए जाने या इनकी सिफारिश करने में रूढ़िवादी नजरिया (जिसके कारण समुदाय से प्राप्त घृणा संबंधी रिपोर्टों के मुकाबले बहुत कम सख्या में मुकदमे सामने आए), नागरिक न्याय प्रणाली पहुंच का ना होना, नागरिक समाधान प्रणाली की जानकारी की कमी और ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल में होने वाली लंबी देरी के कारण समस्या (आपराधिक, नागरिक और प्रशासनिक विधिक प्रतिक्रियाओं सहित) पर कार्यवाही करने में घृणा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया व्यापक तौर पर निष्प्रभावी हैं।
- सार्वजनिक संस्थानों में प्रासंगिक नीतियों की कमी, आंकड़ों की कमी और अपने समुदायों में घृणा संबंधी मामलों से निपटने में भली प्रकार से सक्षम सामुदायिक संगठनों के अनुदान में कमी और आपात प्रबंधन के प्रति मानवाधिकार आधारित नजरिए को लागू करने में असफलता की समस्या को संबोधित करने में घृणा के प्रति सरकार की प्रतिक्रियाएं व्यापक रूप से निष्प्रभावी रही हैं।
- पर्याप्त धन और केंद्रीकृत समन्वय के साथ घृणा के प्रति सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ प्रभावी हो सकती हैं। विशेष रूप से सामुदायिक संगठन, नफरत फ़ैलाने वालों के लिए बाहर निकलने के लिए रास्ते उपलब्ध कराने के साथ-साथ, घृणा का अनुभव करने वाले लोगों की सहायता करने में प्रभावी पाए गए है।

[1] Mark Schaller, Damian R. Murray, and Marlise K. Hofer, "The Behavioural Immune System and Pandemic Psychology: The Evolved Psychology of Disease-Avoidance and its Implications for Attitudes, Behaviour, and Public Health during Epidemic Outbreaks," *European Review of Social Psychology*, November 2, 2021, 1–37.

# कमिश्नर की सिफारिशें

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत सबूतों के भंडार की समीक्षा करने के बाद, इस बात से इनकार करना असंभव है कि हम समस्या का समाधान हासिल कर चुके हैं। हमारे ध्रुवीकृत समाज में, हमें घृणा के प्रति अहिंसक प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए हमें हमारी करुणा में निर्णायक और घृणा के प्रति अहिसंक प्रतिक्रियाओं को तय करने में सृजनात्मक होना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में व्यापक साक्ष्य से उभर कर सामने आई कमिश्नर की सिफारिशें निम्नलिखित विषयों के साथ व्यवस्थित की गई हैं:

- नफरत को समझना और उसके नुकसान को स्वीकार करना
- सुरक्षा और अपनापन
- जवाबदेही और नुकसान की भरपाई

ये विषय इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि समाधान संकट के प्रति हमारी सामाजिक प्रतिक्रिया में रही कमी को समझने में निहित है । उदाहरण के लिए, सामाजिक अज्ञानता को शिक्षा के माध्यम से और दंडमुक्ति को अधिक मजबूत जवाबदेही तंत्र के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, और सामाजिक अलगाव को संबोधित करने और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किए गए कार्यक्रमों के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

कमिश्नर का जहां यह मानना है कि संघीय सरकार विधायी जनादेश से बाहर है, उन्हें उम्मीद है कि सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देशित उनकी सिफारिशें इन ऑनलाइन कंपनियों को कैनेडा सरकार के विनियमन को सूचित करती हैं। कमिश्नर की सिफारिशें नीचे दी गई हैं। अनुशंसाओं के पूर्ण पाठ के लिए, "विश्लेषण और परिवर्तन के लिए अनुशंसाएँ" देखें।

**नीचे सुझाए गए नीतिगत परिवर्तनों में नई जान फूंकने के लिए, कमिश्नर ने सिफारिश की है कि ब्रिटिश कोलंबिया सरकार संकट के समय और उसके बाद भी निम्नलिखित संस्थागत तंत्रों की स्थापना करके, हमारे समुदायों में घृणा को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे**:

1. बीसी पब्लिक सर्विस के मुखिया को नफरत की घटनाओं की रोकथाम और प्रतिक्रियाओं का तालमेल और नेतृत्व करने के लिए अस्सिटेंट डिपुटी मिनिस्टर स्तर या उच्चतर स्तर पर एक पद का सृजन करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार और संबंधित सार्वजनिक निकायों के लिए इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए देखरेख करने की होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि इस भूमिका का अधिकार क्षेत्र घृणा के सभी क्षेत्रों में फैला हो, जिसमें लिंग (लिंग पहचान और अभिव्यक्ति सहित), जाति, धर्म, मूल निवास, यौन झुकाव के आधार पर घृणा सहित, घृणा के सभी क्षेत्र शामिल हैं।

2. प्रीमियर और केबिनेट को इस रिपोर्ट और कमिश्नर की सिफारिशों के आधार पर नफरत की घटनाओं को संबोधित करने के लिए स्पष्ट समय सीमा के भीतर परिणामगामी और पारदर्शी रिपोर्टिंग के साथ पूरी सरकार की रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। रणनीति और कार्य योजना को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

**a.** घृणा का अनुभव करने वाले लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ योजना के विकास में सहायता करने के लिए एक कम्युनिटी एडवाइजरी ग्रुप बनाना।

**b.** पुलिस के आंकड़ों, सोशल मीडिया रिपोर्ट और केंद्रीकृत कम्युनिटी रिपोर्टिंग तंत्र पर आधारित घृणा की घटनाओं पर विश्वसनीय आंकड़ों के प्रकाशन की प्रतिबद्धता।

**c.** लंबे समय के दौरान बदलावों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शनकारी संकेतकों का इस्तेमाल करते हुए, योजना के तहत की गई प्रगति पर सालाना सार्वजनिक रिपोर्ट का प्रकाशन।

**d.** इस रणनीति के कार्यान्वयन पर स्वतंत्र निरीक्षण प्रदान करने के लिए मानवाधिकार कमिश्नर को विधायी अधिकारों को प्रदान करने के लिए बी.सी. की *मानवाधिकार संहिता* (सेक्शन 47.12) में संशोधन करने के लिए विधान सभा द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहिए ।

## नफरत को समझने और उसके नुकसान को स्वीकार करने के लिए सिफारिशें:

**3** हम सभी, जो व्यक्तियों के रूप में हमारे समुदायों और हमारे प्रांत का निर्माण करते हैं, का यह दायित्व है कि हम अपने समुदायों में घृणा को समझें और उसका मुकाबला करें। हम नफरत के सामने शक्तिहीन नहीं हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने आपको शिक्षित करें, जिसमें घृणा का शिकार हुए लोगों के अनुभवों पर केंद्रित इस रिपोर्ट की समीक्षा करना भी शामिल है। हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने, और हमारे समुदायों तथा हमारे सार्वजनिक संस्थानों में अपनेपन और स्वीकृति की भावना पैदा करने की अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, बीसीओएचआरसी नफरत को दूर करने के उद्देश्य से शैक्षिक पहलों को विकसित करना जारी रखेगा।

**4** शिक्षा और बाल कल्याण मंत्री को पूरे K-12 सिस्टम में घृणा-विरोधी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विस्तार करना चाहिए ताकि सभी छात्र नफरत और चरमपंथ तथा उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित कर सकें। मंत्रालय को चाहिए कि:

**a.** कम से कम एक "बड़ी मुहिम" से पाठ्यक्रम में घृणा-विरोधी शिक्षा को सीधे शामिल करें और विशिष्ट पाठ्यक्रम दक्षताओं, सामग्री और सहायक सामग्री के माध्यम से इसका समर्थन करें।

**b.** मंत्रालय के डिजिटल साक्षरता ढांचे में नफरत, झूठी सूचना और दुष्प्रचार को जोड़ें।

**c.** पाठ्यक्रम में स्वदेशी लोगों, अश्वेत लोगों और अन्य नस्ली लोगों, महिलाओं, LGBTQ2SAI+ लोगों, विकलांग लोगों और हाशिए के अन्य समुदायों के इतिहास और उनके योगदान को शामिल करें।

**5** सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सॉलिसिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल की मदद से, नफरत की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक नागरिक- या समुदाय-नेतृत्व वाली प्रांत-व्यापी केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराना चाहिए,एवं उसकी रचना निम्न प्रकार से की जानी चाहिए:

**a.** पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना। स्पष्टता के लिए, नफरत की घटनाओं की सूचना देने वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के साथ तुरंत मदद के संपर्क में लाने के

लिए इस सूचना प्रणाली में एक मजबूत और सुलभ अधिवक्ता और परामर्शदाता नेटवर्क के लिए अनुमोदन शामिल होना चाहिए।

**b.** पीड़ितों को कानूनी प्रणाली, जिसमें मानवाधिकार शिकायतें, पुलिस रिपोर्ट और पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रक्रियाएँ शामिल हैं, के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

**c.** विश्वसनीय और सुलभ तथ्य अलग से एकत्र करें, रुझानों के लिए इस तथ्य का विश्लेषण करें और मंत्रालय को उन कदमों की सिफारिश करें जो इन प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए उठाए जाने चाहिए।

**d.** युवाओं की जरूरतें और स्कूलों और अन्य युवा-उन्मुख संस्थानों में उनके नफरत के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए।

यह सूचना प्रणाली बहुभाषी, विकलांग लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और इसमें ऑनलाइन और फोन, टेक्स्ट और ईमेल जैसे विभिन्न प्रकार के सूचना प्लेटफार्म का उपयोग करना चाहिए। सूचना प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध समर्थन शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों में उपलब्ध होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में फ्रंटलाइन सेवा संगठनों को यह सूचना उपलब्ध करनी चाहिए कि सूचना प्रणाली का आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पीड़ितों की सहायता के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए जो सभी कर्मचारियों और उन लोगों को भी दिखाई दें जिनके यहाँ वे कार्यरत हैं।

**6** बी.सी. में सभी पुलिस सेवाओं को, जिनमें नगरपालिका विभाग और आरसीएमपी (क्योंकि यह प्रांत के साथ अनुबंध के तहत संचालित है) शामिल है, को नए पुलिस अधिकारियों के लिए अतिरिक्त और अनिवार्य प्रशिक्षण शामिल करने, और घृणा अपराधों की प्रतिक्रिया, जांच और आरोपों की सिफारिश को लेकर जारी पेशेवर विकास के लिए आंतरिक धन को पुनर्निर्देशित करना चाहिए। प्रशिक्षण को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सॉलिसिटर जनरल द्वारा स्थापित किए जाने वाले मानकीकृत बेंचमार्क का पालन करना चाहिए और इस क्षेत्र में गैर-विशेषज्ञ अधिकारियों के प्रशिक्षण की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें घृणा संबंधी मामलों की पहचान के बारे में प्रशिक्षण और लिंग आधारित हिंसा को घृणा संबंधी आरोप पर कैसे कार्यवाही करनी चाहिए, जैसे कदम शामिल हैं।

## सुरक्षा और अपनेपन के भाव को पैदा करने की सिफारिशें:

**7** सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सॉलिसिटर जनरल को अटॉर्नी जनरल के सहयोग से, घृणा से निपटने के लिए बहाली और उपचार कार्यक्रमों के सामुदायिक विकास के लिए अपना समर्थन और धन प्रदान करना चाहिए। घृणा की रोकथाम और घृणा संबंधी हादसा होने के बाद उसे संबोधित करने के लिए बहाली न्याय कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, और घृणा को संबोधित करने में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सशक्त मानसिक स्वास्थ्य कदमों को शामिल किया जाना चाहिए।

मूल निवासियों और उनकी कानून संबंधी परंपराओं के जरिए बहाली न्याय पहल शुरू की जानी चाहिए। बहाली प्रक्रियाओं में बहु-विश्वास और बहुसांस्कृतिक समुदायों और जहां कहीं उपयुक्त हो उनके अगुवाओं को शामिल किया जा सकता है। इन सेवाओं को शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों तक पहुंचाया जाना

चाहिए। बहाली संबंधी पहल के संभावित जोखिमों (जैसा कि रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है) को देखते हुए, प्रभावशीलता पर नियमित कार्यक्रम मूल्यांकन और सार्वजनिक सूचना कार्य को शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रमों को निम्नलिखित दोनों बातों के लिए तैयार किया जाना चाहिए:

**a.** घृणा को फैलाने वाले अगुवा और वे लोग जो घृणा के फैलने के कारण जोखिम पर हैं, घृणा पैदा करने वाली विचारधारा और समूहों से दूर रहते हैं, और उनका ध्यान एक दूसरे के साथ संबंध बनाने और समुदाय की भावना विकसित करने पर केंद्रित होता है। घृणा फैलाने वाली पूर्व की घटनाओं से जुड़े लोगों को घृणा फैलाने वाले लोगों या ऐसे संभावित लोगों के लिए बहाली न्याय कार्यक्रमों को विकसित करने में सहायता करनी चाहिए, और यह कार्यक्रम उन लोगों को मुहैया होने चाहिए जिन पर *क्रिमिनल कोड* के तहत घृणा संबंधी मामलों के लिए मुकदमा चलाया गया है या जिन्हें सजा दी गई है, साथ ही साथ जो यह अपराध करने के जोखिम पर हैं।

**b.** नफरत की घटनाओं से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए । बहाली न्याय प्रक्रियाओं को नफरत की घटनाओं के पीड़ितों के परिप्रेक्ष्य, जरूरतों और सहमति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और सामुदायिक संबंध और समुदाय-आधारित समर्थन के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए।

**8** सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सॉलिसिटर जनरल को मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के लिए मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए आपातकालीन प्रबंधन और जलवायु तत्परता मंत्री के साथ काम करना चाहिए। विशेष रूप से:

**a.** प्रमुख संकटों के लिए आपातकालीन योजना में लिंग आधारित हिंसा सहित घृणा की भाषा और घृणा फैलाने वाली हिंसा में वृद्धि को संबोधित करने की योजना शामिल होनी चाहिए। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

**b.** संकट के समय के लिए एक प्रभावी संचार रणनीति विकसित की जानी चाहिए ताकि बहुभाषी और सुलभ, सटीक, साक्ष्य-आधारित तथा पारदर्शी संचार सुनिश्चित किया जा सके। संचार को समावेश और सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए और नफरत के सभी रूपों की हर तरीके से निंदा करनी चाहिए।

**c.** लिंग आधारित हिंसा सहित घृणा अपराधों के खिलाफ काम करने वाले अच्छी तरह से वित्त पोषित सामुदायिक संगठनों का एक व्यापक नेटवर्क बनाए रखना चाहिए। महामारी के दौरान सरकारी आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए पीड़ित और अपराधी की सहायता में शामिल सामुदायिक संगठनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उस सीख को भविष्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में शामिल किया जा सके।

**d.** हिंसा-विरोधी आपातकालीन योजना में सुरक्षित शरण और सहायता की तलाश करने वाली महिलाओं, युवाओं और विविध-लिंगी लोगों के लिए अधिक और लक्षित सेवाओं को शामिल करना चाहिए, जैसे कि आश्रय और ट्रांजिशन हाउस घर के अधिक संख्या में स्थान जहां सामाजिक दूरी और सार्वजनिक संचार योजनाओं की व्यवस्था हो ताकि पीड़ितों को यह मालूम हो कि उन्हें कहां

से मदद मिल सकती है। दुर्व्यवहार करने वालों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

**e.** संभावित चिंता, भय, अनिश्चितता और आपात स्थितियों के कारण अकेले रहने वाले लोगों की सहायता के लिए आसानी से मिलने वाली मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यापक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

**9** सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे, गूगल, मेटा, रेडिट, रंबल, टेलीग्राम, टिकटॉक और ट्विटर:

**a.** सुनिश्चित करें कि उनके पास घृणित सामग्री से निपटने के लिए सेवा की कठोर शर्तें हो और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए ।

**b.** दर्शकों को संभावित घृणित जानकारी से दूर करने के लिए विभाजनकारी, भेदभावपूर्ण और भ्रामक सामग्री को कम दिखाने के लिए अपने एल्गोरिदम में सुधार करें।

**c.** घृणित सामग्री के साथ विज्ञापन देना तुरंत बंद करें।

**d.** प्लेटफ़ॉर्म डिजाइन द्वारा तैयार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए मौजूदा जोखिम का आंकलन करने, और मौजूदा जोखिमों को कम करने की रणनीतियों को विकसित करने के लिए निष्पक्ष ऑडिट करने की अनुमति दें।

**e.** बी.सी. में घृणा संबंधी ऑनलाइन सामग्री की प्रकृति और बारंबारता समयबद्ध, पारदर्शी और सटीक सार्वजनिक रिपोर्टिंग और समयबद्धता, की गई कार्रवाई, और अपील तथा फैसला पलटने सहित मंच की प्रतिक्रियाओं पर प्रतिबद्धता। पारदर्शिता संबंधी जरूरतों में मंचों पर घृणा सामग्री की मौजूदगी और मंचों की प्रतिक्रियाओं दोनों का निष्पक्ष अनुसंधान कर पाएं द्वारा मूल्यांकन करने के लिए आंकड़ों की पर्याप्त पहुंच उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित होना चाहिए, साथ ही ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें इस पहुंच से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों के गोपनीयता अधिकारों के साथ कोई समझौता न हो।

## जवाबदेही और सुधार के लिए सिफारिशें :

**10** अटार्नी जनरल को घृणा अपराधों पर मुकदमा चलाने में सशक्त सार्वजनिक रुचि पर बल देने के लिए क्राउन नीति निर्देशों के सुधारों को निम्न तरीकों से करना चाहिए:

**a.** घृणा से संबंधित घटनाओं के मुकदमों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहाली न्याय उपायों को उपयुक्त माना जाना चाहिए।

**b.** लिंग आधारित हिंसा को घृणा अपराध के तौर पर कब माना जाए, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करना, जिसमें यह भी शामिल है कि सजा दिए जाते समय लिंग आधारित हिंसा को कब घृणा संबंधी उत्तेजनाकारी कारक माना जाना चाहिए।

**c.** चार्ज अप्रूवल, मुकदमों के नतीजे और सजाएं तथा सजा दिए जाते समय घृणा को उत्तेजनाकारी कारक संबंधी मामलों सहित घृणा मामलों के आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन। इन आंकड़ों में अलग-अलग जनसांख्यिकीय आंकड़े भी शामिल होने चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या घृणा अपराधों के लिए आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता के लिए और सुधार आवश्यक हैं, और यह भी सुनिश्चित करें कि अभियोग किसी असमानता को कहीं भविष्य में बढ़ावा तो नहीं देंगे।

**11** सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सॉलिसिटर जनरल को पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई घृणा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक पुलिसिंग मानक मसौदा तैयार करना चाहिए, जिसमें निम्न शामिल हों:

**a.** लिंग आधारित हिंसा को घृणा अपराध के रूप में कब देखा जाएगा, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें ऐसे मामलों का समर्थन करने के लिए सबूत इकट्ठा करने पर मार्गदर्शन शामिल है जहां लिंग आधारित हिंसा को सजा देने में नफरत से संबंधित उत्तेजक कारक माना जा सकता है।

**b.** जांच और आरोपों की सिफारिशों में सहायता के लिए घृणा अपराध संकेतों की सूचना।

**c.** इस बात की आवश्यकता कि सभी पुलिस विभाग घृणा संबंधित अपराधों के लिए कम से कम एक विशेषज्ञ को नियुक्त और प्रशिक्षित करें, जो विशिष्ट क्राउन काउंसल और बीसी के घृणा अपराधों के साथ परामर्श करने के लिए जिम्मेदार हो।

**d.** प्रांत-व्यापी रिपोर्टिंग सिस्टम की सहायता के लिए पीड़ितों को रेफरल प्रदान करने के लिए पुलिस को निर्देश ।

**e.** समान तथ्य संग्रह और सूचना को सुनिश्चित करने का निर्देश, जिसमें नफरत की घटना/अपराध की एक सुसंगत परिभाषा और पीड़ितों और अपराधियों के बारे में स्पष्ट, और साथ ही अलग-अलग जनसांख्यिकीय आंकड़े होने पर नफरत की विभिन्न प्रेरणाओं को दर्ज करने की आवश्यकता शामिल है।

**f.** लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने और नफरत की घटनाओं की व्यापक श्रेणी की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश।

कमिश्नर का अनुमान है कि बीसी में प्रांतीय पुलिस सेवा समझौते के अनुच्छेद 6.5 के अनुसार आरसीएमपी घृणा अपराधों पर अपने पुलिसिंग मानकों में सामंजस्य स्थापित करेगी।

**12** अटार्नी जनरल को बीसी ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल को घृणा अपराधों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए:

**a.** शिकायतों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना।

**b.** बी.सी. के *ह्यूमन राइट्स कोड* के सेक्शन 7 में संशोधन करने के लिए विधान सभा द्वारा विचार के लिए कानून पेश करना ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि चाहे प्रकाशन ऑनलाइन हों या ऑफलाइन, यह दोनों पर लागू होगा।

**c.** सेक्शन 7 के साथ-साथ कोड के अन्य महत्वपूर्ण सेक्शन में सुधार के लिए विधान सभा द्वारा विचार के लिए विधेयक पेश करना जिसने भेदभाव के प्रतिबंध आधार शामिल हैं, और घृणास्पद प्रकाशन के उद्देश्य के लिए भेदभाव के प्रतिबद्ध आधार के तौर पर सामाजिक स्थिति को शामिल करना शामिल है।